

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०


उनवान
बनाम
दावा बाबत :- 88 RT Act
मुकदमा नम्बर :- 146/2020
निर्णय दिनांक :- 18.11.2021

1. मनीराम पुत्र शालूराम
2. उमेमप्रकाश
3. प्रताप सिंह } पि० मनीराम
4. उरिया सिंह } जति मटर
5. सन्तोष } सा० कनपुरा

वादी की ओर से वकील मुंशी राम गोखामी की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील सरजीत बिजारी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.11.2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मोगा कनपुरा वारानी के खाता संख्या 207/204 के खसरा सं० 70 की 3.422 ई.मेट्रिक खसरा संख्या 705/71 की 2.529 ई.मेट्रिक खसरा संख्या 733/210 की 1.012 कुल खसरा 3 की 6.963 ई.मेट्रिक खसरेदारी जो प्रतिवादी मनीराम के नाम दर्ज है, उसमें प्रतिवादी सं० 5 सन्तोष ने अपना चक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 तथा 4 के फसल में तर्क कर शुन्य कर लिमा है, इसलिए उक्त वाडरूमि जो मनीराम के नाम दर्ज है, उसमें वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 तथा 4 व हिस्सा कराकर के अनुकूल खातेदा काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी सं० 5 के द्वारा लगाया किये गये हिस्सा पर परीक्षण शुल्क व स्टाम्प शुल्क अदा हो।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शकुन्तला चौधरी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (हनुमानगढ़)